कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/ 604, दिनांकः– 24/07/2023

–:बैठक कार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समितिं बैठक दिनांक 21.07.2023, उपायुक्त (जोन–6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुईं। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा संख्या	विषय
01	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1561,1562,1563, 1563/1 से 1563/10 सर्वेयर अनुसार 20952.86 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण तथ्य–

1. पत्रावली के पैरा संख्या 7 पर अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा सर्वेयर प्लान अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित है।
2. सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 20952.86 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 4 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1561 ,1562 ,1563,1563/1 से 1563/10, विधि शाखा मे वाद लंम्बित नही है।
4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 2 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1561 ,1562 ,1563,1563/1 से 1563/10, अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 64 पर सलंग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 60 फीट व राजस्व रिकार्ड अनुसार 45 फीट है पहुच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6.

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

01. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
02. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
03. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 03 सितम्बर 2021 के निर्देशानुसार रक्षा संस्थापन/स्थापना की सीमा से 500 मीटर की परिधि मे निर्माण से पूर्व रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है।
04. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सडक की सुनिश्चितता की जावें।
05. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में पत्रावली के पैरा संख्या 7 पर अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार पहुच मार्ग ले आउट प्लान में दर्शाया अनुसार है।
06. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
07. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
08. प्रकरण के पृष्ठ संख्या 66 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रतिशत
1.	आवासीय	12996.83	62.00
2.	सडक	6082.22	29.01
4.	Plantation belt	1871.81	8.99
कुल		20952.86	100.00

तहसीलदार/R.I.
जोधपुर विकास प्राधिकरण

अधिशाषी / सहायक अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण

सहायक नगर नियोजक (जोन–6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

उपायुक्त (जोन–6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./ 2023/605 – 610 **दिनांकः– 24/07/23**

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन–6, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी /सहायक अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक (जोन–6)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर